

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 478]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2013—आश्विन 17, शक 1935

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2013

क्र. एफ. 35-13-2013-दो-सी-2.—राज्य शासन एतद्वारा, आगामी विधान सभा चुनाव 2013 के लिये निर्मांकित अधिकारियों की सेवाएं शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपता है, उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28-(ए) के लिये नामांकित अधिकारी माना जावेगा :—

- (1) पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल.
- (2) पुलिस महानिदेशक के अधीनस्थ समस्त पुलिस अधिकारी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.